माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. रिव्यू /2013 रिव्यू - 3751 - I/13 (2)

रसीद खान पुत्र स्व. अजीज खान
निवासी– बारघाट पटेल टोला तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.)

.... आवेदक

दिनांक 10-10-13 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभि॰ द्वारा प्रस्तुत।
10-10-13
A.S.O

विरुद्ध

मोहम्मद दिलावर खान पुत्र स्व. मो. हनीफ खान
रिटा. फॉरेस्ट रेन्ज ऑफीसर
निवासी– बारघाट पटेल टोला तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.)

.... अनावेदक

10-10-2013

रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 51 विरूद्ध आदेश माननीय श्री एम.के. गोयल प्रशा. सदस्य के न्यायालयीन प्रकरण आर 3351–I/13 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2013

माननीय महोदय,

आवेदक का रिव्यू प्रार्थना पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आदेश विधि विधान एवं प्रक्रिया के विपरीत बिना अभिलेख बुलाये पारित मनमाना निष्कर्ष दिया।
2. यहकि, सेल–डीड दिनांक 16.7.1987 जो कि निम्न न्यायालय में प्रस्तुत थी उसका अवलोकन नहीं किया और ना ही विधि की मंशा व उच्च न्यायालय के निर्णय 90 आर.एन. 95 का अनुशरण किया।
3. यहकि, निगरानी मेमो में जो आधार दिया गया था उसका निराकरण नहीं किया गया।
4. यहकि, अन्य तर्क मौखिक रूप से बहस के वक्त निवेदित किये जावेगें।
5. यहकि, समयावधि में उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदक का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक आर 3351–I/2013 में आदेश दिनांक 27.08.2013 निरस्त की जावें तथा निगरानी में सुनवाई की जावे।

दिनांक : 10.10.2013

प्रार्थी,

रसीद खान

द्वारा अभिभाषक,
प्रदीप श्रीवास्तव,
एडवोकेट

(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3746–एक/2013 जिला सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–09–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3351–एक/2013 में पारित आदेश दिनांक 27–08–2013 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है, का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	